Harage VIIII The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 181] No. 181] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 24, 2009/आश्विन 2, 1931 NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 24, 2009/ASVINA 2, 1931

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसुचना

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2009

सं. 1-54/08-एमएमपीओ/एफएसएसएआई.—केन्द्रीय सरकार ने, जनसाधारण के हित में वांछित क्वालिटी के द्रव दुग्ध के प्रदाय को बनाए रखने और उसमें वृद्धि करने तथा दुग्ध और दुग्ध उत्पाद का उत्पादन, प्रदाय तथा वितरण को विनियमित करने के लिए उपबंध करने की दृष्टि से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए दुग्ध तथा दुग्ध उत्पाद आदेश, 1992 किया है;

और संसद् ने, खाद्य से संबंधित विधियों को समेकित करने और खाद्य वस्तुओं के लिए विज्ञान पर आधारित मानकों को अधिकथित करने तथा उनके विनिर्माण, भंडारकरण, वितरण, विक्रय और आयात को विनियमित करने, मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और पुष्टिकर खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित करने को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना करने के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (उक्त अधिनियम) अधिनियमित किया है:

और उक्त अधिनियम की धारा 99 की उप-धारा (1) उपबंध करती है कि उक्त अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से ही दुग्ध और दुग्ध उत्पाद आदेश, 1992 को उक्त अधिनियम के अधीन दुग्ध और दुग्ध उत्पाद विनियम, 1992 समझा जाएगा और उसकी उप-धारा (2) उपबंध करती है कि खाद्य प्राधिकरण, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमित से और पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, उक्त विनियमों को संशोधित कर सकेगा;

और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमित से दुग्ध और दुग्ध उत्पाद आदेश, 1992 का और संशोधन करने के लिए निम्निलिखित विनियमों को बनाया जाना प्रस्तावित करता है और उसको उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तारीख से जिसको अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं तीस दिन की अविध की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा;

और आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली को भेजे जा सकेंगे;

प्रारूप विनियम

- 1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (दुग्ध और दुग्ध उत्पाद) संशोधन विनियम, 2009 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. दुग्ध और दुग्ध उत्पाद आदेश, 1992 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) के पैरा 1 के उप-पैरा (1) में, ''दुग्ध तथा दुग्ध उत्पाद आदेश'' शब्दों के स्थान पर ''भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (दुग्ध और दुग्ध उत्पाद) विनियम'' शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे।
- 3. समस्त उक्त आदेश में, ''केन्द्रीय सरकार'' शब्द, जहां-जहां वे आते हैं ''भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण'' शब्द रखे जाएंगे।

- 4. उक्त आदेश के पैरा 8 के उप-पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :—
 - "(2) किसी नए संयंत्र या विद्यमान संयंत्र की क्षमता के विस्तार या उसके उपांतरण के रिजस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ ज्येष्ठ लेखा अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के पक्ष में, नई दिल्ली में देय आहरित डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से केवल पांच हजार रुपए फीस लगी होगी या वह जिसे समय-समय पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा पुनरीक्षित किया जाए और आवेदक द्वारा यथास्थित रिजस्ट्रीकरण, विस्तार, अपील और अन्य किसी उपांतरण के लिए संदत्त फीस का प्रतिदाय नहीं किया जाएगा।"
- 5. उक्त आदेश के पैरा 12 के उप-पैरा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :—
 - ''(1) भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नियंत्रक होगा और इस आदेश के अधीन नियंत्रक की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेगा।''
- 6. उक्त आदेश के पैरा 13 के उप-पैरा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :—
 - "(1) भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और यथास्थिति केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार से परामर्श करने के पश्चात् राजस्ट्रीकरण अधिकारी के रूप में केन्द्रीय या राज्य सरकार के उतने अधिकारी, जितने आवश्यक समझे जाएं, जो भारत सरकार में उप-सचिव की पंक्ति से नीचे न हों, नियुक्त या अभिहित कर सकेगा और उनकी संबंधित अधिकारिता विनिर्दिष्ट कर सकेगा।"

वी. एन. गौर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी [विज्ञापन III/4/187–ओ/असा.]

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th September, 2009

No. 1-54/08-MMPO/FSSAI.—Whereas, the Central Government, in view that for maintaining and increasing the supply of liquid milk of the desired quality in interest of the general public and to provide for regulating the production, supply and distribution of milk and milk product, has made the Milk and Milk Product Order, 1992 in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955;

And whereas Parliament enacted the Food Safety and Standards Act, 2006 (the said Act) to consolidate the laws relating to food and to establish the Food Safety and Standards Authority of India for laying down science based standards for articles of food and to regulate their manufacture, storage, distribution, sale and import, to ensure availability of safe and wholesome food for human consumption;

And whereas sub-section (1) of Section 99 of the said Act provides that on and from the date of commencement of the said Act, the Milk and Milk Product Order, 1992 shall be deemed to be the Milk and Milk Products Regulations, 1992 under the said Act and sub-section (2) thereof provides that the Food Authority may, with the previous approval of the Central Government and after previous publication, amend the said regulations to carry out the purposes of the said Act;

And whereas the Food Safety and Standards Authority of India, with the previous approval of the Central Government, proposes to make the following regulations further to amend the Milk and Milk Product Order, 1992 and the same is hereby published for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft regulations shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the notification is made available to the public;

AND WHEREAS objections or suggestions, if any, may be forwarded to the Chief Executive Officer of the Food Safety and Standards Authority of India, FDA Bhawan, Kotla Road, New Delhi.

DRAFT REGULATIONS

- 1. (1) These regulations may be called the Food Safety and Standard Authority of India (Milk and Milk Products) Amendment Regulations, 2009.
 - (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
- In the Milk and Milk Product Order, 1992 (hereinafter referred to as the said Order) in sub-paragraph (1) of paragraph 1, for the words "Milk and Milk Product Order", the words and brackets "the Food Safety and Standards Authority of India (Milk and Milk Products) Regulations" shall be substituted.
- 3. Throughout the said order, for the words "the Central Government", wherever they occur, the words "the Food Safety and Standards Authority of India" shall respectively be substituted.
- 4. In paragraph 8 of the said order, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—
 - "(2) Every application for registration for new plant or expansion of the capacity of the existing plant or modification thereof shall be accompanied by a fee of Five Thousand Rupees only, through Demand Draft, drawn in favour of the Senior Accounts Officer, Food Safety and Standards Authority of India payable at New Delhi, or as may be revised from time to time by the Food Safety and Standard Authority of India and the fee paid by the applicant for registration, expansion, appeal and any other

- modification, as the case may be shall not be refunded."
- 5. In paragraph 12 of the said order, for sub-paragraph (1), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—
 - "(1) The Chief Executive Officer of the Food Safety and Standards Authority of India shall be the Controller and shall exercise the powers and functions of the Controller under this Order".
- In paragraph 13 of the said Order, for sub-paragraph (1), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—
- "(1) The Food Safety and Standards Authority of India may, by notification in the Official Gazette, and after consultation with the Central Government or as the case may be the State Government, appoint or designate as many officers of the Central or State Government, not below the rank of the Deputy Secretary to the Government of India, as the Registering Authority, as it may consider necessary, and specify their respective jurisdiction".

V. N. GAUR, Chief Executive Officer [ADVT-III/4/187-O/Exty.]